



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान व्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियन्त्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी10 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र0- छग0/दुर्ग/चूप0-10/रायपुर/खण्ड 2 खान कोड: 38 एम0पी0आर0 13008 दिनांक:- 04/09/2019

प्रति,

श्री नीरज अखुरे, एम0डी0, सी0ई0ओ0 एवं नॉमिनेटेड ऑनर
मेसर्स ए0सी0सी0 लिमिटेड,
सीमेंट हाउस,
121, महर्षि कर्वे रोड,
मुम्बई (महाराष्ट्र)-400020

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी पथरिया चूनापत्थर खदान 36.01 हे0 में
खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09/08/2019 को श्री
राधेश्याम राय, चीफ मेनेजर (माईन्स) एवं श्री स्वाराज नेटके, खनन अभियंता की उपस्थिति में किया गया तथा
खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के
निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यौरा
Rule 11 (1)	The following deviations have been found in the mine from approved Scheme of Mining vide letter no. DRG/LST/MPLN-183/NGP Nagpur dated 15/02/2016 for the period of 2016-17 to 2020-21 Afforestation: There was a proposal given for plantation of 1000 nos. of plants during 2018-19, whereas, 600 nos. of the plants have been planted.
Rule 45 (7)	Annual Return 2018-19: Part II A: Capital Structure Value of Fixed Assets (in ₹) 17772046.00 has been given similar to the another mining lease i.e. 38MPR13007 (37.85 Ha.). Part VI: Production, Dispatches And Stock 3. (i) Since the mineral is not pulverised within lease area, hence, the Average cost of Pulverization may not be given. Part VII: Cost of Production: Cost of Production is similar for both leases i.e. 38MPR13007 and 38MPR13008.
Rule 46	Notice of Certain Appointment: Appointment notice of Nominated Owner has not been sent in the prescribed format to the authorized officer within fifteen days from the date of such appointments.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत
- (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :—

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान व्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)—440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान व्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)—440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
4. श्री वैभव दीक्षित, निदेशक (प्लान्ट) एवं ऐजेन्ट (माईन्स), ए०सी०सी० लिमिटेड, जामुल सीमेन्ट वर्क्स, जामुल, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ०ग०)—490024.

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर